भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1331** जिसका उत्तर
शुक्रवार, **09 फरवरी**, **2024/20** माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है

तटीय पोत परिवहन नीति

†1331. **श्री. नलीन कुमार कटील :**
श्री. राजेन्द्र धेड्या गावित :
श्री. रविन्दर कुशवाहा :
श्री. सत्यदेव पचौरी :
श्री. तापिर गाव :
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल :
श्री. शंकर लालवानी :
डॉ. उमेश जी. जाधव :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में तटीय पोत परिवहन नीति लाने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) राष्ट्रीय जलमार्गों में कार्गो हैंडलिंग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;
(घ) क्या सरकार ने अमृत काल विजन के अंतर्गत मंत्रालय के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, तटीय पोत परिवहन को परिवहन के ऊर्जा कुशल और लागत प्रभावी माध्यम के रूप में बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस संबंध में, सरकार ने तटीय पोत परिवहन का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, तटीय बर्थों, रो-रो/ रो-पैक्स जेट्टियों, यात्री जेट्टियों आदि के विकास के लिए 849 करोड़ रु. मूल्य की 15 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।

(ii) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम की धारा 407 के अंतर्गत लाइसेंस संबंधी छूट कंटेनर जलयानों को आउटबाउंड परिवहन हेतु ट्रांसशिपमेंट पत्तनों पर एक्जिम कंटेनरों और खाली कंटेनरों को लाने-ले जाने के लिए: तथा कृषि, मत्स्य पालन, बागबानी, उर्वरक और पशु उत्पाद सामग्रियों को ले जाने वाले विदेशी ध्वजांकित जलयानों को दी जाती है, जो, इस शर्त के अध्यधीन है कि तटीय यात्रा के शुरू होने पर पोत पर लादे गए कार्गो का न्यूनतम 50% भाग इन सामग्रियों का हो।

(iii) महापत्तनों द्वारा तटीय कार्गो जलयानों को जलयानों एवं कार्गो संबंधित प्रभारों पर 40% की छूट दी जाती है।

(iv) तटीय जलयानों के लिए टर्नअराउंड समय कम करने तथा उनकी उपयोगिता को सुधारने के लिए, तटीय जलयानों की बर्थिंग नीति की प्राथमिकता अधिसूचित की गई है।

(v) भारतीय ध्वज वाले जलयानों में उपयोग होने वाले बंकर ईंधनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% तक किया गया है।

(vi) पत्तनों में तटीय कार्गो की शीघ्र निकासी के लिए ग्रीन चैनल निकासी शुरू की गई।

(vii) तटीय पोत परिवहन या अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा सब्सिडी युक्त यूरिया तथा पीएंडके उर्वरकों की शुरूआती आवाजाही पर भाड़ा सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए अनुमति प्राप्त है।

(viii) सभी महापत्तनों और गैर-महापत्तनों के साथ प्रथम और अंतिम मील सड़क और रेल संपर्कता में सुधार करने संबंधी परियोजनाओं की पहचान की गई है ताकि कार्गो ढुलाई में तेजी लाई जा सके। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ कार्य कर रहा है।

(ग): वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा हैंडल किए गए कार्गो की तुलना में वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा हैंडल किया गया कार्गो 700% तक बढ़ गया है।

(घ) और (ङ): अमृतकाल विज़न के अंतर्गत सरकार की योजना, देश में परिवहन किए गए तटीय कार्गो की मात्रा को 1300 एमटीपीए तक तथा राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से 500 एमटीपीए से अधिक बढ़ाए जाने की है।

*****